राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3051/2025

प्रदीप कुमार गिलोटिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. उप शासन सचिव, कार्मिक (क–3/शिकायत) जांच विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.06.2025
आदेश की दिनांक : 13.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में बाल विकास परियोजना अधिकारी (निलम्बित) के पद पर मुख्यालय निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवायें, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 26.10.2020 के द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर वर्ष 2005 में हुई थी और वर्ष 2011 में अपीलार्थी का बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर चयन हुआ तथा दिनांक 27.12.2011 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 152/2020 जारी की गई तथा उसे गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में चालान पेश किये गये, जो विचाराधीन है तथा गिरफ्तार होने के आधार पर अपीलार्थी को दिनांक 26.10.2020 को निलंबित किया गया। अपीलार्थी को निलंबन हुये 4 वर्ष 8 माह हो चुके हैं, परंतु आज दिनांक तक बहाल नहीं किया गया है। अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा जमानत दी गई, तत्पश्चात् उसे आरोप पत्र दिया गया। अपीलार्थी ने आरोप पत्र को स्थगित करने की प्रार्थना की, परंतु विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। उनका तर्क है कि माननीय

उच्चतम न्यायालय ने अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 16.02.2015 को निर्णय पारित करते हुये अंकित किया है कि किसी भी निलंबित कार्मिक को 3 माह में अगर किसी कर्मचारी के विरूद्ध आरोप नहीं लगाये गये हैं या चार्जशीट जारी नहीं की गई है तो प्रत्येक 3 माह में निलंबन आदेश को आगे बढाये जाने हेतु कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी विभाग ने निलंबन आदेश के पश्चात् आज तक निलंबन को आगे बढाये जाने हेतु न तो कोई आदेश पारित किया और न ही आज तक कोई आदेश कारण बताते हुये जारी किया। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 19082/2023 अकाराम बंजारा बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 26.09.2024 को 10 माह से लगातार निलंबित आदेश को लम्बे समय तक निलंबित किये जाने के आधार पर निलंबन आदेश को अपास्त किया है। इसी प्रकार एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1788/2024 नरेश सिंह बनाम राज्य सरकार में दिनांक 21.02.2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने लम्बे समय तक निलंबन को अवैध माना है और इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त विधि अनुसार लम्बे समय तक निलंबित रखा जाना नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 26.10.2020 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को पुनः सेवा में बहाल किया जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन बाल विकास परियोजना अधिकारी (निलम्बित) के पद पर मुख्यालय निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवायें, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 26.10.2020 के द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को आदेश दिनांक 26.10.2020 से लगातार निलंबित रखे जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 26.10.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 152/2020 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 201, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में दण्डनीय अपराध के लिये प्रथम दृष्टया लिप्त पाया गया है, जिसके तहत अपीलार्थी को सीसीए नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुये निलंबित किया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2023, जिसमें लोक सेवकों के अपराधिक प्रकरणों में निलंबन एवं निलंबन से बहाली के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि लोक सेवकों के ऐसे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में उनके प्रकरण निलंबन से बहाली हेतु गठित पुनरावलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे। अपीलार्थी के प्रकरण में न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया जा चुका है। हम यह उचित समझते हैं कि उक्त परिपत्र के निर्देशानुसार अपीलार्थी के प्रकरण को प्रत्यर्थी विभाग पुनरावलोकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करे और दो माह की अवधि में नियमानुसार निस्तारण कर अपीलार्थी को सूचित किया जावे।

अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष